न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र 14(4) : 18 / 2024
दायर दिनांकः 17.10.2024
निर्णय दिनांक 16.01.2026

:: अनवान ::

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नाथद्वारा

— प्रार्थी

बनाम

श्री डालचन्द पुत्र रामा भील निवासी निचली ओडन तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970) के तहत आवंटन निरस्त कराने बाबत।

उपस्थितः—

1-- श्री अनिल बागोरा राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी, उपस्थित

2-- श्री लालजी मीणा, अधिवक्ता विपक्षी उपस्थित।

:: निर्णय ::

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आंवटन) नियमन 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम निचली ओडन पटवार मण्डल ओडन में चालु जमाबन्दी संवत् 2075 से 73 खाता संख्या 326 खासरा 1513 / 1343 रकबा 1.0117 है0 भूमि स्थित होकर विपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी हक से राजस्व रेकर्ड में है। उक्त भूमि श्री डालचन्द पुत्र रामा जाति भील को श्रीमान उप जिलाधीश महोदय द्वारा दिनांक 28.06.84 को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटित कि गई थी। उपरोक्त आवंटित खासरा संख्या 1513 / 1343 रकबा 1.0117 है0 भूमि पर या उसके किसी भाग पर आज तक कृषि कार्य नही किया है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

नियम 1970 के नियम 14(8)(क) में वर्णित शर्तो की पालना नहीं कि है। अतः प्रार्थना है कि उक्त भूमि आराजी संख्या 1513/1343 रकबा 1.0117 है0 भूमि जो आवंटन आदेश दिनांक 28.06.1984 आवंटित हुई जो विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने से आंवटन निरस्त योग्य है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लालजी मीणा ने वकालतानामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी डालचन्द ने आराजी नं. 1513/1343 किस्म गैर खातेदारी को खातेदारी में करवाने बाबत समय–समय पर सम्बन्धित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र पेश किए और कई बार निवेदन किए। मौके पर काफी खर्चा कर भुमि को आबाद किया, पेड़–पौधे लगाए, उसमे सुधार कर कृषि योग्य बनाया, फिर भी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कोई सुनवायी नहीं की गयी। विपक्षी 40 वर्ष से भी अधिक समय से उक्त भुमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन कर रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे एवं उक्त गैर खातेदारी कृषि भूमि को परिवर्तित कर खातेदारी अधिकार प्रदान किए जावे।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम निचली ओडन पटवार मण्डल ओडन में चालु जमाबन्दी संवत् 2075 से 78 खाता संख्या 326 खासरा 1513/1343 रकबा 1.0117 है भूमि स्थित होकर दिपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी हक से राजस्व रेकर्ड में है। उक्त भूमि श्री डालचन्द पुत्र रामा जाति भील को श्रीमान उपजिलाधीश महोदय द्वारा दिनांक 28.06.84 को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटित कि गई थी। उपरोक्त आवंटित खसरा संख्या 1513/1343 रकबा 1.0117 है। भूमि पर या उसके किसी भाग पर आज तक कृषि कार्य नही किया है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(8)(क) में वर्णित शर्तो की पालना नहीं कि है। अतः प्रार्थना है कि उक्त भूमि आराजी संख्या 1513/1343 रकबा 1.0117 भूमि जो आवंटन आदेश दिनांक 28.06.

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

1984 आवंटित हुई जो विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने से आंवटन निरस्त योग्य है। अतः निरस्त फरमावं।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी डालचन्द ने आराजी नं. 1513/1343 किस्म गैर खातेदारी को खातेदारी में करवाने बाबत समय–समय पर सम्बन्धित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र पेश किए और कई बार निवेदन किए। मौके पर काफी खर्चा कर भुमि को आबाद किया, पेड़–पौधे लगाए, उसमे सुधार कर कृषि योग्य बनाया, फिर भी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कोई सुनवायी नहीं की गयी। विपक्षी 40 वर्ष से भी अधिक समय से उक्त भुमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन कर रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे एवं उक्त गैर खातेदारी कृषि भूमि को परिवर्तित कर खातेदारी अधिकार प्रदान किए जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस प्रकरण में प्रार्थना पत्र तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के उप नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसमें उनके द्वारा यह बाताया गया कि इस भुमि को दिनांक 28.06.1984 को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटित किया गया था। आवंटन नियम के अर्न्तगत इसमें 03 वर्ष की अवधी में काश्त किया जाना आवश्यक होता हैं। जबकि इस भूमि पर गैर खातेदार द्वारा आज दिनांक तक यानि कि 40 वर्ष के पश्चात भी किसी प्रकार की काश्त नही की गई हैं। अतः इस आवंटन को आवंटन शर्तो की पालना नही किये जाने से आवंटन खारिज किया जावें। अपने तथ्यों के पक्ष में तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया हैं और साथ ही साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया है कि उनको इस तथ्य की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय में चल रही रिट पिटीशन संख्या 36/2015 के माध्यम से उनको प्राप्त हुई इसीलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ और सूचना प्राप्त होते ही यह प्रार्थना पत्र उनके द्वारा पेश कर दिया गया। साथ ही इसमें पटवारी की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आवंटन दिनांक से आज तक इस पर कोई भी फसल नहीं बोयी गयी है और भूमि पड़त पड़ी हुई है। इस संबंध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया उसमें उनके द्वारा यह कहा गया कि उन्होंने इस भूमि को काफी खर्चा करके आबाद किया पेड़–पौधे लगाए और भूमि में सुधार करके कृषि योग्य बनाया परन्तु यह कहीं नहीं लिखा कि

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उस पर किसी प्रकार कि काश्त की है साथ ही उनके द्वारा पिछले 40 वर्षो में अगर काश्त की गयी होती तो उसका खसरा गिरदावरी में अंकन होता। लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार की खसरा गिरदावरी की प्रति पेश नही की गयी है अर्थात् वो यह बताने में असफल रहे है कि उनके द्वारा आवंटित भूमि पर 40 वर्षो से कोई काश्त की गयी हो। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उनका शपथ पत्र, पटवारी रिपोर्ट इन सभी से यह स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि गैर खातेदार द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970) के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना अनुसार गैर खातेदार द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) को स्वीकार किया जाकर उपजिलाधीश उदयपुर द्वारा श्री डालचन्द को आराजी नं. 1513/1343 में आवंटित रकबा 1.0117 हैक्टयर भूमि के आदेश दिनांक 28.06.1984 को निरस्त किया जाता है।

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 16.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)